

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर (छत्तीसगढ़)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 270 / दो-11-01 / 2024

जशपुर, दिनांक 15 / 03 / 2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 18.03.2024 प्रात 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 06.04.2024 तक के संध्या 5.00 बजे तक
स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित हो कर जमा कर सकते हैं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के सामान्य स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 2756 / 979 / 21-ब / छ.ग. / 2024 रायपुर दिनांक.15 / 03 / 2024 के अनुसार प्राप्त अनुमति के तहत अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से जिला न्यायालय जशपुर में निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद											अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			मुक्त	महिला	मूलपूर्व सैनिक	
			मुक्त	महिला	मूलपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	मूलपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग				
1	आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (चौकीदार-04 वाटरमेन-05 तथा स्वीपर -04 पद कुल-14 पद) वेतन मान 10100/- एकमुस्त	14	1	-	-	-	5	2	1	1	2	-	-	-	2	-	-

शैक्षणिक योग्यता:-

- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम कक्षा-5वी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली) / स्थानीय भाषा(बोली) का ज्ञान होना चाहिए। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध संलग्न करें, साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हों जैसे इलेक्ट्रिशियन, फर्नाश, माली एवं प्लम्बर ड्राईवर, कुक के कार्य का शासकीय संस्थान, सार्वजनिक, उपक्रम, या प्रायवेट कम्पनी में कार्य का अनुभव हो और अनुभव प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा सील एवं हस्ताक्षर के साथ प्रदत्त किया गया हो, संलग्न किये जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
- आवेदन पत्र उचित रूप से पाये जाने मात्र से आवेदक साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने का अधिकारी नहीं होगा। रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदनपत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

महोदय, जशपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम/प्रक्रिया विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जशपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर ही साक्षात्कार लिया जावेगा । अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

—: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें —:

(1) आयु सीमा —

प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक फ-3-1/2016/एक-3 दिनांक 11/01/2017 के अनुसार महिलाओं के लिये अनारक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी के लिये ही लागू होंगे।

नोट— **छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए प्रथमिक प्रमाण पत्र, पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अन्य शर्तें —

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
- (3) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित **उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।** संविदा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परीविक्षा लागू नहीं होगी।
- (4) चयनित उम्मीदवारों को जशपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी।

- (5) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- (6) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (7) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
- (8) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (9) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (10) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (11) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **06.04.2024** की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **आकस्मिकता निधि कर्मचारी** चौकीदार/वाटरमेन/स्वीपर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर (छ0ग0) के कार्यालय में स्वयं उपस्थित हो कर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकर किया जावेगा। **दिनांक 06.04.2024 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के शासकीय वेबसाईट <https://jashpur.dcourts.gov.in> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (3) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले पद के लिये किस पद के लिये आवेदन किया जा रहा है जैसे (वाटरमैन, चौकीदार अथवा स्वीपर, स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा)।

- (4) आवेदन पत्र में रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।
- (5) ई-मेल, फ़ैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।
- (6) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा ।
- (7) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

आकस्मिकता निधि कर्मचारी

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के आवेदनपत्र की स्कूटिनिंग क पश्चात पात्र आवेदकों की उपर्युक्तता/कौशल परीक्षा आयोजित कराई जावेगी ।

कौशल परीक्षा

कौशल परीक्षा के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना कार्यालय वेबसाईट <https://jashpur.dcourts.gov.in> पर अपलोड किया जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नही भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नही होगा।

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जावेगी।
2. कौशल परीक्षा में समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को चयनित किया जावेगा। जन्मतिथि समान होने पर जिस अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुआ है, उसे चयन किया जावेगा।
3. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नही करने पर प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति की जा सकेगी।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया

जावेगा। आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से कराया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

—: महत्वपूर्ण निर्देश :—

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. उपरोक्त भर्ती/नियुक्ति एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
7. यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त या स्थगित किया जा सकेगा।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://jashpur.dcourts.gov.in> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के छः माह के पश्चात विनिश्चितकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी।

नियुक्ति के पूर्व तथा पश्चात् कोई भी सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :- जशपुर


दिनांक :- 15.03.2024

सही /-
अध्यक्ष,
भर्ती एवं नियुक्ति समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
जशपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
(आकस्मिकता निधि कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जशपुर (छत्तीसगढ़)



1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :
.....
(ब) स्थाई पता :
.....
.....
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में) :
- (ब) दिनांक 01/01/2024 को आयु :- वर्ष माह दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न कर)
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।
11. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ/नहीं
यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक
15. रोजगार कार्यालय का नाम :.....
16. क्या आप विवाहित हैं? हॉ/नहीं
17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि
18. जीवित बच्चों की संख्या :.....
19. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर)

21. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप – प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

- | प्रमाण पत्र का नाम | संलग्न है/संलग्न नहीं। |
|---|------------------------|
| 1. पांचवी/आठवीं/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी जन्म प्रमाण पत्र | |
| 2. अन्य योग्यता | |
| 6. छ.ग. राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र | |
| 7. छ.ग. राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र | |
| 8. विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र | |
| 9. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र | |
| 10. भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र | |
| 11. पहचान पत्र दस्तावेज | |
| 12. अन्य | |

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर—

आवेदक का नाम—


एवं पूरा पता—

मोबाईल नं.—

कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला—जशपुर (छ0ग0)

प्रवेश—पत्र

परीक्षा का नाम :- कौशल परीक्षा/साक्षात्कार



आवेदित पर का नाम :-

अभ्यर्थी का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

वर्ग :-

(अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./अनारक्षित)



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :-

परीक्षा केन्द्र का नाम :-

परीक्षा का दिनांक:-

परीक्षा का समय:-

अध्यक्ष/चयन समित
जिला न्यायालय
जशपुर(छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश—पत्र एवं वैद्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले रंग पेन का ही उपयोग करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र—शस्त्र वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जायेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश—पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन—पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चास्पा करना अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थी प्रवेश—पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।